सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भगरुप या इस बारे सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पंहुच होगी।

(मैनुअल-8)

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

13—पदीय कर्तव्यों के पालन में की गयी राज्य के अन्दर यात्राओं में शासन के प्रमुख सचिव के अनुरूप सर्किट हाऊस एवं अन्य निरीक्षण भवनों में ठहरने की सुविधा।

2. पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रदेश से बाहर की यात्राओं का अनुमोदन विभागीय मंत्री द्वारा प्रदान किया जाएगा।

3. स्टाफ सम्बन्धित समिति द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

4. मानदेय, वाहन, कार्यालय व्यय, स्टाफ, यात्राओं आदि पर होने वाला व्यय सम्बन्धित विभाग/समिति द्वारा वहन किया जायेगा, जिसमें उन्हें नियुक्त किया गया है।

(भास्करानन्द)
अपर सचिव।

संख्या—75(1)/XXI/2008 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण।
3. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, सूचना को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सम्बन्ध में अग्रेत्तर समस्त आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित महानुभाव द्वारा सम्बन्धित सचिव।
8. निदेशक, कोषागार उत्तराखण्ड।
9. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मण्ड़लायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
12. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या 7066 /सू.एवंलो.स.वि.(नि) -2008 16/2/08

उत्तराखण्ड शासन,

सूचना अनुभाग

संख्या–37 /XXII/2008–9(1) 2008

देहरादूनः दिनांकः 15 फरवरी, 2008

कार्यालय–ज्ञाप

मीडिया से बेहतर समन्वय स्थापित कर प्रदेश सरकार की नीतियों, उपलब्धियों एवं विकासपरक योजनाओं की जानकारी विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा जन सामान्य तक पहुँचाने, प्रचार–प्रसार के कार्य में गतिशीलता लाये जाने तथा प्रदेश स्तर पर मीडिया प्रतिनिधियों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में प्रदेश सरकार को सलाह देने हेतु **"मीडिया सलाहकार समिति"** का निम्नवत गठन किये जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

कमांक	पदनाम	पदों की संख्या	नियुक्ति / मनोनयन की विधि
1–	अध्यक्ष	01	मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मनोनयन किया जायेगा।
2–	उपाध्यक्ष	02	मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मनोनयन किया जायेगा ।
3–	सदस्य	20	मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मनोनयन किया जायेगा ।
4–	सदस्य सचिव	01	अधिशासी निदेशक,सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांखण्ड देहरादून, पदेन सदस्य सचिव होंगे।

(पी0के0सारंगी)

सचिव

संख्या–37/XXII/2008–9(1) 2008, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।

2– अपर मुख्य सचिव / समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल / कुमॉयू मण्डल, उत्तराखण्ड।

4– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

5– महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

6– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड

7– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

8– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

9– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

10– निजी सचिव, मा0 सूचना मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ

11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एस0एस0वल्दिया)

उप सचिव